रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 624] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 11, 2011/चैत्र 21, 1933
No. 624] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 11, 2011/CHAITRA 21, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2011

का.आ. 739(अ).—स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 4 के साथ पठित धारा 9 और धारा 76 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम और बनाती है, नामश: :—

1. (1) ये नियम स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहे जा सकेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में, नियम 49 में,–

(i) उपनियम (1) में खंड (ii) में "बोर्ड" शब्द को "सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग या कोई और अधिकारी जो भारत सरकार के अपर सचिव से नीचे के रैंक का न हो, इसके लिए उसकी ओर से प्राधिकृत" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) उपनियम (3) में "बोर्ड" शब्द को "केन्द्र सरकार" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. एन-11012/1/2011-एन सी-II]

सत्यनरायण दास, अवर सचिव

टिप्पण : प्रधान अधिसूचना को सा.का.नि. 837(अ), दिनांक 14 नवम्बर, 1985 के द्वारा भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और बाद में का.आ. 786(अ), दिनांक 26 अक्टूबर, 1992, का.आ. 599(अ), दिनांक 10 अगस्त, 1993, सा.का.नि. 748(अ), दिनांक 14 दिसम्बर, 1993, सा.का.नि. 543, दिनांक 24 अक्टूबर, 1994, सा.का.नि. 82, दिनांक 14 फरवरी, 1995, सा.का.नि. 556(अ), दिनांक 14 जुलाई, 1995, सा.का.नि. 25(अ), दिनांक 12 जनवरी, 1996, सा.का.नि. 509(अ), दिनांक 4 नवम्बर, 1996, सा.का.नि. 350(अ), दिनांक 25 जून, 1997, सा.का.नि. 214(अ), 19 मार्च, 2002, सा.का.नि. 763(अ), दिनांक 14 नवम्बर, 2002, सा.का.नि. 115(अ), दिनांक 21 फरवरी, 2003, सा.का.नि. 129(अ), दिनांक 26 फरवरी, 2003, सा.का.नि. 217(अ), दिनांक 17 मार्च, 2003, सा.का.नि. 95(अ), दिनांक 4 फरवरी, 2004, सा.का.नि. 736(अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 2005, सा.का.नि. 639(अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2006 और सा.का.नि. 2(अ), दिनांक 1 जनवरी, 2008 और का.आ. 1661(अ), दिनांक 13 जुलाई, 2010 के द्वारा उसमें संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2011

S.O. 739(E).—In exercise of the powers conferred by Section 9 read with Sections 4 and 76 of the Narcotic

Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, in rule 49,—

(i) in sub-rule (1), in clause (ii), for the word "Board" the words "Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue or any other officer, not below the rank of Additional Secretary to the Government of India, authorized by him in this behalf" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (3), for the word "Board" the words "Central Government" shall be substituted.

[F. No. N-11012/1/2011-NC-II]

SATYA NARAYANA DASH, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.837(E), dated the 14th November, 1985 and subsequently amended *vide* notifications S.O. 786 (E), dated the 26th October, 1992, S.O. 599 (E), dated the 10th August, 1993, G.S.R. 748 (E), dated the 14th December, 1993, G.S.R. 543, dated the 24th October, 1994, G.S.R. 82, dated the 14th February, 1995, G.S.R. 556 (E), dated the 14th July, 1995, G.S.R. 25 (E), dated the 12th January, 1996, G.S.R. 509 (E), dated the 4th November, 1996, G.S.R. 350 (E), dated the 25th June, 1997, G.S.R. 214 (E), dated the 19th March, 2002, G.S.R. 763 (E), dated the 14th November, 2002, G.S.R. 115 (E), dated the 21st February, 2003, G.S.R. 129 (E), dated the 26th February, 2003, G.S.R. 217 (E), dated the 17th March, 2003, G.S.R. 95 (E), dated the 4th February, 2004, G.S.R. 736 (E), dated the 22nd December, 2005, G.S.R. 639 (E), dated the 13th October, 2006, G.S.R. 2 (E), dated the 1st January, 2008, and S.O. 1661 (E), dated the 13th July, 2010.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.